न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 152/2025

श्रीमती नेहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड।

–आवेदक

बनाम

1. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री मुकेश मैनी, उम्र 24 वर्ष, (विक्रेता) निवासी गांव–पंडितपुरा, पावटा विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड मैसर्स–स्वामी सरस एजेंसी, बस स्टैंड, पावटा, विराटनगर, जिला कोटपूतली बहरोड
2. श्री मुकेश कुमार स्वामी पुत्र श्री रामनारायण स्वामी उम्र 48 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) निवासी गांव पंडितपुरा, पावटा, विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ मैसर्स–स्वामी सरस एजेंसी, बस स्टैंड, पावटा, विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), / धारा 51 एवं धारा 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 27-1-26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.04.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 28 जून 2024 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 05 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, राज० जयपुर के आदेश क्रमांक 102/15.01.2025 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है एवं कोटपूतली–बहरोड जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 23.04.2025 को दोपहर 01:00 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थो की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दल के साथ मैसर्स स्वामी सरस एजेंसी, बस स्टैंड, पावटा, विराटनगर, जिला–कोटपूतली–वहरोड स्थित दुकान पर पहुँची। उक्त श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री मुकेश सैनी समय उक्त स्थल पर विक्रेता स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ आमजन को विक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री कृष्ण एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की (विक्रेता) निवासी गांव पंडितपुरा, पावटा, विराटनगर जिला कोटपूतली–वहरोड़ का होना बताया एवं स्वयं को उक्त विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता एवं मालिक द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता एवं मालिक से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र पत्र नं० 12225026000720 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान पर रखे करीब 03 किलो Paneer डी फ्रीज में आमजन को विक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री कृष्ण एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की उपस्थिति में विक्रेता श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री मुकेश सैनी को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Paneer में से 1 किलो Paneer वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के भगौने में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 280/– (अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 1 किलो Paneer को हिला मिलाकर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मेलीन की 20–20 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया।

लेवल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. AS–61 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–वहरोड द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नींचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-वहरोड़)

6. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं0 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि उक्त Paneer के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक–29 दिनांक–19.05.2025 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ Substandard & Containing extraneous matter (Foreign Fat) Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन दस्तावेजो का कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 33/14.8.25 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट वाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard & Containing extraneous matter (Foreign Fat), Paneer की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं धारा 54 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
11. परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तामिल हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आकर जवाब पेश किया तथा प्रकरण के निस्तारण करने एवं बहस सुनने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

निवेदन पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी की दुकान स्वामी सरस एजेन्सी पर लेखराज सैनी नाम को कोई विक्रेता नही है स्वयं मुकेश कुमार स्वामी उपरोक्त एजेन्सी के मालिक व विक्रेता है। यदि आवेदक द्वारा लेखराज सैनी से पनीर अथवा अन्य सामान क्रय किया है तो उसके लिये प्रार्थी मुकेश कुमार स्वामी उत्तरदायी नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के पैरा 2 से यह जाहिर है कि मौके पर विक्रेता व मालिक दोनो मौजूद थे ऐसी सूरत में मालिक की उपस्थिति में अन्य किसी विक्रेता से पनीर खरीद किये जाने का तथ्य पूर्णतया हास्याप्रद है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस सबूतो के अभाव में कार्यवाही की है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी नही ठहराया जा सकता है इसलिए उन्हें दोष मुक्त किया जाने के आदेश फरमावें।

12. हमने अप्रार्थी वकील द्वारा पेश जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि खाद्य विशलेषक ने अपनी रिपोर्ट एल.एस./1708/एक्ट/2025/1712 दिनांक 05.05.2025 में विक्रय किये गये पनीर अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट वाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ होना पाया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान स्वामी सरस ऐजन्सी से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पनीर विक्रय नही किया जाना बताया गया परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजात् रिकॉर्ड शाहदत प्रस्तुत नहीं की है केवल जुबानी कथनों के आधार पर पर्याप्त वजह दस्तावेजी रिकॉर्ड शाहदत के अभाव में पत्रावली में संलग्न नमूना खरीद बिल/कैश मेमो, मौका फर्द तथा प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी/अभियुक्त अवमानक एवं भारी वसा के कारण अन्तर्विष्ट वाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करने पर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने का दोषी है अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 51 व 54 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त श्री मुकेश कुमार स्वामी पुत्र श्री रामनारायण स्वामी उम्र 48 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) निवासी गांव पंडितपुरा, पावटा, विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ मैसर्स–स्वामी सरस एजेंसी, बस स्टैंड, पावटा, विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड पर 25000/- पच्चीस हजार ....शास्ती राशि आरोपित की जाती है। इसे जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक मे जमा करवाकर रसीद चालान पेश करे।

यह निर्णय आज दिनांक 27/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
न्याय निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली